REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 6 | MARCH - 2025

ग्रामीण अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप एवं कार्यिक वर्गीकरण का अध्ययन : सतना जिला के विशेष सन्दर्भ में

कृष्ण कुमार साकेत
शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र
सहायक प्राध्यापक भूगोल, इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश –

यह अध्ययन सतना जिले के ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों, उनके प्रतिरूपों और कार्यिक वर्गीकरण का विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे सतना जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों का प्रकार और संरचना विकसित हुई है और इसके सामाजिक–आर्थिक प्रभाव क्या हैं। अधिवासों के प्रकार में गाँव, बस्ती और कस्बे शामिल हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, और कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भरता है। प्रतिरूपों में बसावटों के आकार और संरचना का विश्लेषण किया गया है, जैसे रैखिक, गोल या द्वाराकार बसावट। कार्यिक वर्गीकरण में यह देखा गया है कि ग्रामीण अधिवासों में लोगों के बीच कार्यों का विभाजन किस प्रकार होता है और यह किस तरह से स्थानीय विकास को प्रभावित करता है। सतना जिले के ग्रामीण अधिवासों में सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई भिन्नताएँ हैं, जिनके आधार पर नीति निर्माण और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।

मुख्य शब्द – ग्रामीण अधिवास, प्रतिरूप, सामाजिक संरचना एवं विकासात्मक नीतियाँ।

प्रस्तावना –

सतना जिला भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ के अधिवासों का वितरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि भूगोल, जलवायु, कृषि कार्य और अन्य प्राकृतिक संसाधन। सतना जिले की सामाजिक संरचना मुख्यतः कृषि आधारित है, जिसमें किसान, श्रमिक, और कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ समाज प्रमुख है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि और अन्य ग्रामीण व्यवसायों जैसे कि मछली पालन, लकड़ी की कटाई और हस्तशिल्प पर निर्भर हैं। साथ ही, जिले में शहरीकरण का भी प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की जीवनशैली में बदलाव हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, जिले में कई सरकारी और निजी स्कूलों के साथ–साथ स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। हालांकि, कुछ दूरदराज क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।

अधिवास शब्द से अधिवास समूह (बस्ती समूह) का बोध होता है। बहुत से घरों को हम बस्ती कहते हैं अतः बस्ती या अधिवास की न्यूनतम इकाई घर है। मनुष्य स्वभावतः एक साथ रहना चाहता है, अतः मनुष्यों के घर प्रायः एक बिन्दु पर केन्द्रित होने की चेष्टा करते है, अतः जब बहुत से घर एक बिन्दु पर केन्द्रित हो जाते हैं

तो वे गांवो के रूप में दिखायी देते हैं। मानव ग्रामीण अधिवास का सामान्य वर्गीकरण उनकी स्थिति, प्रकार, स्वरूप, प्रतिरूप, भौतिक वातावरण, आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीकी तथ्यों के आधार पर दो भागो में किया जाता है। सामूहिक या सघन ग्रामीण अधिवास व प्रकीर्ण या बिखरी हुई अधिवास।

सामूहिक या सघन ग्रामीण अधिवास – यह अधिवास सामान्यतः उन क्षेत्रो में मिलते हैं जहाँ मनुष्य सामाजिक दृष्टि से अपने पूरे समाज, परिवार के साथ मिलकर रहना पसंद करता है। देश की सर्वाधिक सघन बस्तियाँ नदियों के उपजाऊ मैदान में मिलती है। जहाँ समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल प्राप्ति, कृषि से स्थायीभरण पोषण, पशुपालन, यातायात के पर्याप्त साधन, शान्ति सुरक्षा, वन आदि कारक सघन बस्तियों के बसने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसी बस्तियों की मुख्य विशेषता यह होती है कि सभी लोगों के घर एक जगह पर बने होते हैं, बस्ती की स्थिति गांव के बीच होती है, लोगों का घर एक दूसरे से सटे होते हैं, सामान्यतः घर पंक्तिबद्ध होते हैं, घरो की दो पंक्तियों के बीच गली होती है जो मार्ग का काम करती है और गलियां प्रायः एक दूसरे को काटती हैं जिससे गांव टोला या मुहल्लो में विभक्त हो जाता है। बस्ती के चारो ओर खेत होते हैं अथवा तीन और खेत होते हैं, एक ओर नदी अथवा कोई प्राकृतिक स्थल खण्ड (जलाशय) होता है। खेतो से होकर पगडंडियां होती है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं।

सघन अथवा गठित बस्तियों की सबसे बड़ी विशेषता उनमें रहने वाले मनुष्यों की जनसंख्या कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संलग्न रहती है। हालांकि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, बुनकर, व्यापारी तथा नौकरी पेशा व्यक्ति की ऐसी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं परन्तु इनका अनुपात कृषकों की तुलना में बहुत कम होता है।

प्रकीर्ण या बिखरी हुई अधिवास – प्रकीर्ण या बिखरी बस्तियाँ मानव अधिवासा में सबसे छोटी इकाई होती है इसीलिए इसे एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इस बस्ती की प्रमुख विशेषता एक दूसरे से दूर बसे होते हैं जिनका पारस्परिक सम्बन्ध कच्ची सड़कों या पगडंडियों से होता है। ऐसी बस्तियाँ सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ कृषि क लिए उपयुक्त धरातलीय अवस्थाएँ नहीं पाई जाती और अनुर्वर मिट्टी, कठोर जलवायु तथा प्रतिकूल धरातल के कारण बड़े पैमाने पर खेती की संभावनाएं कम होती है। इस प्रकार के अधिवास पर्वतीय पहाड़ी तथा सघन वन क्षेत्रो में मिलते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :

''ग्रामीण अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप एवं कार्यिक वर्गीकरण का अध्ययन : सतना जिला के विशेष संदर्भ में" इस शोध का मुख्य उद्देश्य सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे विभिन्न अधिवासों के प्रकार, उनके प्रतिरूप और कार्यिक वर्गीकरण का गहन विश्लेषण करना है। इस अध्ययन से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन अधिवासों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार हो रहा है और यह ग्रामीण जीवन की भिन्नताएँ कैसे प्रभावित कर रही हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से इस शोध का विश्लेषण किया जाएगा :

1. सतना जिले में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों (जैसे, गाँव, बस्ती, कस्बे, आदिवासी क्षेत्रों) की पहचान और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करना।
2. सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे विभिन्न अधिवासों के प्रतिरूपों (जैसे रैखिक, गोल, द्वाराकार) का विश्लेषण करना।
3. सतना जिले के ग्रामीण अधिवासो में कार्यिक वर्गीकरण (जैसे कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग) का विश्लेषण करना।
4. सतना जिले के ग्रामीण अधिवासों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना।
5. ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदमों का पता लगाना और उनका सुझाव देना।

विश्लेषण –

सतना जिले के ग्रामीण अधिवासों का वितरण, प्रतिरूप और कार्यिक वर्गीकरण सामाजिक और भौगोलिक कारकों से प्रभावित होते हैं। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विकास के लिए नीति निर्धारण और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। प्रागैतिहासिक काल में जब

मानव समाज बस्तियों में रहने लगा उस समय बस्ती सघन होती थी। उस समय सार्वजनिक भूमि की अधिकता थी और प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा पाना बस्ती का मुख्य उद्देश्य था। कालान्तर में कृषि के तरीको में विकास होता गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त होने लगा। परिणामस्वरूप पारस्परिक कृषि का ढांचा छिन्न भिन्न होने लगा। सार्वजनिक भूमि के ह्रास के साथ स्थानान्तरित कृषि समाप्त होने लगी। खेती का पुर्नविभाजन समाप्त तथा विखण्डित खेतों को जोड़ा जाने लगा और खेतों को वाड़े के रूप में घेर लिया गया। इस वाड़े के मध्य में कृषक के माकान बने और इस तरह प्रकीर्ण बस्तियों का विकास हुआ।

अधिवासों के प्रकार –

माननीय अधिवास चार प्रकार के होते हैं। इस प्रकारों को किसी बस्ती में मकानों या आश्रयों या झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी के आधर पर निश्चित किया जाता है। ई. अहमद ने ग्रामीण अधिवासों के अध्ययन में उन्हे चार प्रकारों में रखा है। अयोध्या प्रसाद जिन्होने छोटा नागपुर के बस्ती भूगोल पर शोध कार्य किया है वे भी अधिवासों को चार प्रकार बताया ह–

प्रकीर्ण अधिवास – प्रकीर्ण अधिवास को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। ऐसे अधिवासों का विकास कृषि क्षेत्रों या प्राथमिक व्यवसाय वाले भागों में हुआ है। ये अधिवास पगडंडियों या रास्तों द्वारा अलग–अलग बिखरे हुए होने के कारण एक दूसरे से तथा खेतों से जुड होते हैं। प्रकीर्ण अधिवास अधिकांशतः कृषि प्रधान क्षेत्रो में पाये जाते है। पर्वतीय क्षेत्रों, शुष्क प्रदेशों तथा दलदली भूमि वाले क्षेत्रो में भी प्रकीर्ण अधिवास बनाये जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रो में छोटे–छोटे खेत होने के कारण ढालू सतहों पर प्रकीर्ण घर या आवास अधिक बनाये जाते हैं। पशुपालकों के घर पशुओं के वाड़ों के निकट ही स्थापित किये जाते हैं। प्रकीर्ण अधिवास की संख्या जिले में बहुत कम है, कुछ मझिगवां तहसील को अपवाद स्वरूप छोड़कर।

सघन अधिवास – जिन अधिवासों में बस्ती के मकान या झोपड़ियाँ एक दूसरे के साथ–साथ सटी हुई होती है उन्हे सघन या एकत्रित अधिवास कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हे संवेदित या पुंजित अधिवास के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के अधिवासों के घर एक दूसरे से सटकर बने होने के कारण ही सामाजिक इकाई का प्रतीत होते हैं। इन अधिवासों के मध्य संकरी एवं तंग गलियाँ होती हैं। संयुक्त बस्तियों की गलियाँ एवं सड़के शरीर की रक्त वाहिनी धमनियों के समान बस्ती में फैली होती है। ये गलियां अधिवासों के केन्द्र या चौराहों से सम्बन्धित होती है तथा चारो ओर फैली रहती है। ये सामूहिक अधिवास किसी जलाशय या तालाब के आसपास बनाये जाते हैं। इन अधिवासों के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री, जैसे ईट, गारा, फूल पत्थर तथा लकड़ियों आदि का प्रयोग किया जाता है। जिले में सामूहिक अधिवास ही अधिक पाये जाते हैं। सामूहिक अधिवास नियोजित ढंग से अकुशल कारीगरों एवं श्रमिकों द्वारा बिना किसी योजना के बनाये जाते हैं परन्तु ये आवास स्थायी तथा स्वावलंबी होते हैं। इस प्रकार सघन आवासों से निर्मित बस्तियों के 2 से 4 तक पुरवे या नगले या पल्ली भी हो सकते हैं। भारतीय संस्कृत का मूल स्रोत सामूहिक अधिवास ही रहे हैं। मिश्र, चीन, अरब तथा भारत में विकसित प्राचीन सभ्यता के कारण इन देशो में संघन अधिवास ही देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में कृषि कार्यों के सम्पादन, पेयजल की सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति के कारण सामूहिक अधिवास स्थापित किये जाते हैं। नगला या पुरवा भी सामूहिक अधिवास का एक अनुपम उदाहरण है। अन्य सघन अधिवास जिले के लगभग सभी तहसीलों में पाये जाते हैं।

संयुक्त अधिवास – संयुक्त बस्तियों के अन्तर्गत एक केन्द्रित ग्राम होता है। किन्तु इसके साथ ही गाँव की सीमा के भीतर कुछ छोटे–छोटे पुरवे या नगले बसे होते हैं। इस मुख्य बस्ती के अतिरिक्त कई बस्तियाँ होती है जिन्हे हम पुरातन से पुरवा, विगहा, टोला या टोली नाम से जानते हैं। ऐसे पुरवे अथवा टोले की संख्या निश्चित नहीं होती। वस्तुतः यह पुरवे विभिन्न कारणवास केन्द्रीयग्राम को छोड़कर आये हुए एक या कई परिवारों का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह होता है जिसमें प्रायः जाति बिरादरी के लोग रहते हैं। प्रो. आर.एल. सिंह ने इस प्रकार की बस्तियों को अर्द्ध सघन बस्ती कहा है। जहाँ पर संयुक्त अधिवास के साथ दो तीन पुरवे भी होते हैं। ऐसी बस्तियाँ भी प्रायः जिले के लगभग सभी तहसीलों के क्षेत्रो में पायी जाती है।

अपखण्डित अधिवास – ये ऐसे अधिवास होते है जिनका अलग–अलग निवासगृह एक ही बस्ती के अन्दर एक दूसरे के निकट बसे हुए होते हैं। जिन ग्रामीण अधिवास में गाँव की सीमा के भीतर ही बसाव बिखरा हुआ मिलता है अर्थात् गाँव के पार एक दूसरे से थोड़ी दूर पर बने होते हैं अथवा छोटे–छोटे पुरवे या नगले

थोड़ी–थोड़ी दूरी पर बसे होते हैं तथा जिनमें कोई भी केन्द्रीय ग्राम नहीं होता इसे अपखण्डित अधिवास कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवासों को एकांकी अधिवास नहीं कहा जा सकता क्योंकि अमेरिकन या यूरोपीय फार्मगृह के समान विपरीत इन छोटी–छोटी बस्तियों में एक ही परिवार का होना आवश्यक नहीं है, दूसरे इनमें सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन, सामुदायिकता की भावना पायी जाती है।

ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप –

ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से तात्पर्य उनकी आकृति और ढांचे से है जो मार्गों के अनुरूप घरो की स्थिति के अनुसार होते हैं। गाँव के बाहर उसके चारो ओर रेखा खींचने पर जो आकार दिखाई पड़ता है वहीं उसका प्रतिरूप कहलाता है। अर्थात् ग्रामीण बस्तियों की आवासीय इकाईयाँ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के फलस्वरूप जिस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन करती है उन्हे बस्तियों के प्रतिरूप कहते हैं। घरों की सापेक्षिक दूरी एवं उनकी संख्या का आधार मानकर बस्तियों के प्रकार निश्चित किये जाते हैं जबकि आवासों और प्रणालियों की स्थिति के द्वारा जिस प्रकार की आकृति निश्चित होती है उसे बस्तियों के प्रतिरूप कहा जाता है।

बस्ती प्रतिरूप प्राकृतिक कारकों जैसे भूमि की संरचना, उच्चावच, जल प्रवाह एवं मिट्टियां द्वारा निर्धारित होता है, इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक कारकों का भी योगदान प्रतिरूपों को निर्धारित करने में होता है जैसे मार्ग, बाजार, झील, तालाब एवं नहरे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों की बाहरी रूप रेखा तथा आन्तरिक स्वरूप प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारको द्वारा किस हद तक प्रभावित होता है, यह भारतीय अधिवास प्रतिरूपो के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है।

भारतीय ग्रामीण बस्तियाँ किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार नहीं बसायी गयी है बल्कि उनके प्रतिरूप भौगोलिक कारकों के परिणामस्वरूप विकसित हुए हैं। प्राकृतिक कारक के साथ–साथ वर्ण, जाति, व्यवसाय, पारस्परिक सम्बन्धों का प्रभाव भी बस्तियों की आकृति एवं गलियों के संयोजन पर पड़ा है। जिले में अध्ययन के दौरान निम्न प्रतिरूपों को रेखांकित कर अध्ययन किया गया है। अतः इन कारको के फलस्वरूप ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रतिरूप निम्न प्रकार हैं–

रेखीय प्रतिरूप – जब आवास किसी मार्ग के किनारे किनारे नदी के तटबन्धों के सहारे अथवा नहर के सहारे बन जाते हैं तो वे रेखीय प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। घरों, द्वार, सड़क अथवा नहर की दिशा के सम्मुख होते हैं। प्राकृतिक अवरोध के फलस्वरूप भी आवासा का विस्तार एक ही दिशा में होने लगता है।

आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप – मैदानी भागों में जहाँ दो मार्ग आकर मिलते हैं, उसके कटान बिन्दु से चारो ओर की सड़कों के किनारे घर बसने लगते हैं। एक गाँव से दूसरे गाँव को मिलाने वाला मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटता है। इस समकोण अथवा क्रास पर बसने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। गाँव की गलियों, मार्गों के समानान्तर आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती है। ये गलियाँ एक दूसरे को लम्बवत काटती हैं। सम्पूर्ण बसाहट आयताकार अथवा चौक पट्टी प्रतिरूप में परिलक्षित होने लगती है।

नाभिक वृत्ताकार प्रतिरूप – वृत्ताकार प्रतिरूप किसी झील, देवस्थान, पंचायती चबूतरे, जहाँ सभायें, मेले तथा उत्सव आयोजित होते हैं ग्रामीण अधिवास का यह प्रतिरूप निर्मित होता है। बस्तियों के सभी घरों की बाहरी दीवारे इस प्रकार जुड़ी होती है कि बस्ती किलावन्दी का रूप धारण कर लेती है। इन आवासों के द्वार केन्द्र की तरफ होते हैं। इस प्रतिरूप का स्पष्ट उदाहरण बिरसिंहपुर तहसील गैवीनाथ मंदिर तथा मझगवां तहसील में मझगवां तालाब मे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

त्रिभुजाकार प्रतिरूप – जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती है परन्तु उसको पार नहीं करती ऐसे स्थान पर त्रिभुजाकार प्रतिरूप का विकास होता है। ग्रामीण बस्तियों का त्रिभुजाकार प्रतिरूप मुख्य रूप से ऐसे भू भागों पर विकसित होते है जहाँ ग्रामीण बस्ती दो नदियों के संगम पर स्थापित हो जाती है तथा मध्य स्थिति भू भाग पर अन्दर की ओर त्रिभुजाकार प्रतिरूप में विकसित हो जाता है तथा त्रिभुज के पृष्ठ भाग की खुली भूमि में गाँव फैलता चला जाता है। जिले में नागौद तहसील में अमरान नदी तथा सोहावल ब्लाक (रघुराजनगर) में सतना नदी के किनारे ऐसी बस्तियाँ देखने को मिलती है।

तिरछी जीवन प्रतिरूप – ग्रामीण अधिवास में यह प्रतिरूप एक प्रमुख सड़क पर मिलने वाली कई उप सड़कों के विकट मोड़ पर मिल जाने से यह प्रतिरूप बनता है जिस पर मकान की बसाहट होती है। इस प्रकार के

प्रतिरूप जिले के लगभग सभी क्षेत्रों (तहसीलों) में जैसे सिंहपुर, जसो, अवेर, सोनवारी, लटागांव, हिनौती, कोठी, जैतवारा जैसे गांव आते हैं।

चौकोर प्रतिरूप – ग्रामीण अधिवास में इस प्रकार के प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों के मध्य में खुली आयताकार भूमि छोड़ दी जाती है जिससे चारो ओर माकानों की बसाहट मिलती है। गाँव के बाहर चहर दीवारो भी होती है तथा मकान ऊँचे–ऊँचे छोटे हैं ताकि रेत के तूफानों या अन्य असुविधाओं से सुरक्षा की जा सके। इस प्रकार के प्रतिरूप जिले में नहीं पाये जाते हैं। यह प्रतिरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों के गाँव में मिलते हैं।

आरीय या त्रिज्या प्रतिरूप – ग्रामीण अधिवास में जिस बिन्दु पर कई दिशाओं से मार्ग आकर मिलते हैं तथा कई दिशाओं की तरफ अन्य गाँवो से इन मार्गों के द्वारा सम्पर्क स्थापित है जिससे कृषि वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधाएं बढ़ जाती है तथा ऐसी बस्तियों का विकास आसानी से हो जाता है। केन्द्रीय भाग की ओर बस्तियों की सघनता मिलती है जबकि बाहर की और विरलता पायी जाती है। इसको आरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहा जाता है। यह प्रतिरूप जिले के लगभग सभी तहसीलों के नगरीय क्षेत्र या बड़े–बड़े जनसंख्या के आकार वाले गांवो में पाये जाते हैं।

ग्रामीण अधिवासों में बस्तियों का कार्यिक वर्गीकरण –

जिले की बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या के आर्थिक व्यवसाय के आकार पर बस्तियों का कार्यिक वर्गीकरण किया गया है, जिनके मुख्य तीन वर्ग हैं–

प्राथमिक व्यवस्था – प्राथमिक व्यवसाय करने वाली बस्तियाँ अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, भरण पाषण के लिए मछली पकड़ने का व्यवसाय करने वाले लोगों की बस्तियाँ गाँव कहलाती हैं, इस व्यवसाय के लोग प्रायः रामनगर तहसील में बाणसागर बांध के समीपस्थ क्षेत्र, सतना, नदी के तटवर्ती तथा मैहर टमस नदी के तटवर्ती क्षेत्रो में प्राथमिक व्यवसाय के लोगों की संख्या अधिकतर है।

द्वितीय वर्ग के व्यवसाय – ये उस वर्ग की बस्तियाँ है जिनमें रहने वाले लोग किसी प्रकार का निर्माण करते हैं। ऐसी बस्तियाँ निर्माण केन्द्र या द्वितीय वर्ग व्यवसाय की बस्तियाँ कहलाती हैं। परन्तु जिले में यह देखा गया है कि किसी निर्माण केन्द्र में केवल निर्माण उद्योग ही नहीं वरन वहाँ होटल, डाकघर, स्कूल, मोटरबस स्टैण्ड, भोजन की सुविधा आदि भी सुविधाएँ होती हैं। जो तीसरे वर्ग के व्यवसाय करते है जिनको द्वितीयक वर्ग व्यवसाय कहा जाता है। ये सेवायें जिले के सभी नगरीय एवं तहसील मुख्यालय क्षेत्रो में उपलब्ध सुविधाएँ है।

तृतीयक वर्ग व्यवसाय – तृतीयक वर्ग करने वाले लोगों की बस्तिया सेवा केन्द्र कहलाती है। इसमें भोजन तैयार करने की सेवाएँ, रोटी बनाने की बेकरी, होटल, वस्त्र सिलाई, वस्त्र धुलाई, बाजार, अस्पताल, स्कूल, परिवहन, डाकघर आदि की सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं। बड़े सेवा केन्द्रों में मनारंजन के लिए सिनेमाघर, थियेटर, व्यायाम शालाएँ, मनोरंजन के साधन, पुलिस और सरकारी कार्यालय भी होते हैं। इस श्रेणी अर्थात् तृतीयक वर्ग व्यवसाय जिले के मुख्यालयीन क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि "ग्रामीण अधिवास के प्रकार, प्रतिरूप एवं कार्यिक वर्गीकरण का अध्ययन : सतना जिला के विशेष संदर्भ में" पर आधारित है। सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवासों का वितरण, उनके प्रतिरूप और कार्यिक वर्गीकरण सामाजिक, भौगोलिक, जलवायु और संसाधन आधारित कारकों से गहरे प्रभावित होते हैं। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अधिवास होते हैं, जो अपने–अपने वातावरण, संस्कृति और जीवनशैली को परिलक्षित करते हैं। सतना जिले के अधिकांश ग्रामीण अधिवास कृषि आधारित हैं, जहाँ लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर होते है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में परंपरागत और स्वावलंबी जीवनशैली प्रचलित है, जिसमें वन्य उत्पादों का उपयोग और पशुपालन प्रमुख हैं। सतना जिले के विभिन्न अधिवासों में विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप जैसे रैखिक, गोल और वर्गाकार देखे जाते हैं। ये प्रतिरूप मुख्य रूप से भौगोलिक स्थिति, जलवायु और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर विकसित हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बसावटों का प्रतिरूप अधिकतर प्राकृतिक संसाधनों के आसपास होता है, जैसे जंगल और पहाड़ी इलाकों में। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और छोटे व्यापार हैं। कार्यों का विभाजन समाजिक संरचना और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है, जो इन क्षेत्रों की

आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। सतना जिले में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप और कार्यिक वर्गीकरण का अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताएँ हैं, जिनका प्रभाव वहाँ के विकास पर पड़ता है। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन सतना जिले के ग्रामीण जीवन को सशक्त और समृद्ध बना सकता है। यह शोध न केवल सतना जिले के ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करता है, बल्कि स्थानीय विकास की दिशा में भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

संदर्भ –

1. म.प्र. योजना प्रगति के दस वर्ष, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
2. हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कांस्ट्रक्शन एण्ड इन प्रोसेस मिनिस्ट्री आफ रेलवेज गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया, वर्ष 1964
3. जिला विकास पुस्तक, वर्ष 2013, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, जिला सतना (म.प्र.)
4. Census of India, Year 2011, District Census Hand Book, Satna Village and Town Directory Series, 24 Part XII-A and Part XII-B.
5. उप संचालक कृषि, कृषि कार्य योजना, वर्ष 2011–12, कृषि विभाग, जिला सतना (म.प्र.)
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला सतना (म.प्र.)
7. महाप्रबंधक, जिला एवं उद्योग केन्द्र, जिला सतना (म.प्र.)
8 संचालक, आर्थिक एवं सांख्यकी संचालनालय म.प्र., भोपाल (म.प्र.)
9. जिला सांख्यकीय पुस्तिका, वर्ष 2017, जिला एवं योजना एवं सांख्यकीय कार्यालय, सतना (म.प्र.)
10. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला सतना (म.प्र.)
11. अधीक्षक, भू अभिलेख एवं मोसम विज्ञान केन्द्र, जिला सतना (म.प्र.)
12. जिला खनिज अधिकारी, जिला सतना (म.प्र.)
13. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला सतना (म.प्र.)
14. अधीक्षक, डाक एवं तार तथा उपमण्डल अभियंता, कार्यालय दूर संचार जिला सतना (म.प्र.)
15. उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, कार्यालय जिला सतना (म.प्र.)
16. लोक स्वास्थ यांत्रिकी, कार्यालय जिला सतना (म.प्र.)
17. अन्य समाचार पत्र पत्रिकाएँ–दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, देशबन्धु, पत्रिका, नवस्वदेश से समय–समय पर प्रकाशित लेख।